

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 130/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 05.12.2023: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने "भवनों या क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रेटिंग फ्रेमवर्क संबंधी विनियम" 27.09.2023 को जारी किए थे। हितधारकों द्वारा टिप्पणियां और प्रति टिप्पणियां तक प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08.12.2023 एवं 22.12.2023 थी।

2. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हितधारक/ उद्योग संघ से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, इस परामर्श पत्र पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को चार सप्ताह तक यानी 05 जनवरी 2024 एवं प्रति टिप्पणियां 19 जनवरी 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-I), भादूविप्रा को ईमेल: adv-qos1@traigov.in पर भेजी जा सकती हैं। हितधारकों से अनुरोध है कि वे टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां समय पर प्रस्तुत करें, क्योंकि समय सीमा के आगे विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (QoS-I), भादूविप्रा से ईमेल: adv-qos1@traigov.in या दूरभाष संख्या: +91-11-2323-3602 पर संपर्क किया जा सकता है।



(वि . रघुनंदन)
सेक्रेटरी